भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1065

08 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

पथ विक्रेता अधिनियम

1065. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि देश के सभी शहरों में पथ विक्रेता अधिनियम में निर्धारित पहचान पत्र जारी नहीं किये गए हैं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उपरोक्त पहचान पत्र की अनुपलब्धता के कारण पथ विक्रेताओं को परेशान किया जा रहा है और यदि हाँ, तो उनकी समस्या को जल्द से जल्द हल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) पथ विक्रेता अधिनियम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ग): पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम, 2014, 1 मई, 2014 से लागू हुआ और इस अधिनियम के तहत पथ विक्रय के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को अपने लिए संबंधित नियम, योजना, उप-नियम और आयोजना तैयार करनी होती है। अधिनियम की धारा 6(3) में प्रावधान है कि प्रत्येक पथ विक्रेता, जिसे उप-धारा (1) के तहत विक्रय प्रमाण-पत्र जारी किया गया है, उसे योजना में निर्दिष्ट तौर-तरीके से पहचान पत्र जारी किया जाएगा। आईडी कार्ड जारी करने का तौर-तरीका संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित योजना के अनुसार है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की रिपोर्ट के अनुसार, 3471 शहरों ने पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है। 31.01.2024 तक विक्रय प्रमाण-पत्र (सीओवी) और आईडी कार्ड क्रमशः 38.32 लाख और 31.12 लाख से अधिक पथ विक्रेताओं को जारी किए गए हैं।

****